



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 360 राँची, शुक्रवार,

7 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-709/2014-6937 (HRMS)-- श्री शंकर यादव, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 578/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध बिना वाहन मालिक की सत्यता की जाँच किये वाहन का निबंधन संख्या बदलने, बिना अनापति प्रमाण पत्र के वाहन का निबंधन करने आदि आरोप के लिये विभागीय संकल्प सं0-6200 दिनांक 19.11.08 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-1054 दिनांक 08.07.11 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री यादव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अन्य सुसंगत अभिलेखों के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-5418, दिनांक 10.09.2011 द्वारा श्री यादव के विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया- (1) निन्दन; (2) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (3) तीन वर्षों के लिये प्रोन्नति बाधित;

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री यादव द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका W.P.(S) No.-4970/2013- Shankar Yadav Vs. the State of Jharkhand and others दायर किया गया,

जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2017 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"In view of the above narrated facts, reasons and judicial pronouncements, the decision taken and communicated vide resolution dated 10.09.2011, by which, the punishment of censure, with holding of two increments with non-cumulative effect and no promotion for three years has been imposed upon the petitioner is hereby quashed and set aside. Resultantly, the respondents authorities are at liberty to consider the case of the promotion of petitioner in accordance with law.

With the aforesaid observations and directions, the writ petition stands allowed."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा रिट याचिका सं0- W.P.(S) No.-4970/2013 में दिनांक 13.07.2017 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में LPA No. 157/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.12.2019 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"Having held and observed as above, we see no reason to remand the matter for fresh consideration as learned counsel for the appellants could not persuade us by making logical submission that one prudent person can come to a different conclusion in the matter.

In the result, this appeal fails and is accordingly dismissed."

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0- W.P.(S) No.-4970/2013 में दिनांक 13.07.2017 एवं LPA No. 157/2018 में दिनांक 18.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री शंकर यादव, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-578/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, कोडरमा, सम्प्रति- उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-5418, दिनांक 10.09.2011 द्वारा (1) निन्दन; (2) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (3) तीन वर्षों के लिये प्रोन्नति बाधित संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHANKAR YADAV BHR/BAS/3536	श्री शंकर यादव, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 578/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-5418, दिनांक 10.09.2011 द्वारा (1) निन्दन; (2) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (3) तीन वर्षों के लिये प्रोन्नति बाधित संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
